

>

Title: Presentation of the statements of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दा तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" विषय के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।

(दो) "सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं" विषय के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।